झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

राँची, दिनांक-29/06/2018

संख्या-5/आरोप-1-6/2018-898 (HRMS)/ श्री यतीन्द्र प्रसाद, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-583/03), संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निम्नवत निर्णय लिए गए हैं:

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	YATINDRA PRASAD BHR/BAS/2552	श्री यतीन्द्र प्रसाद, झा0प्र0से0, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के विरूद्ध परिवादी श्री अशोक कुमार, आदेशपाल, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा समर्पित परिवाद पत्र में लगाये गये आरोपों से इन्हें आरोप मुक्त किया जाता है.

विवरण:

श्री यतीन्द्र प्रसाद, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-583/03), संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के विरूद्ध परिवादी श्री अशोक कुमार, आदेशपाल, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा परिवाद पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें सहायक के माध्यम से 15,000/- रू0 रिश्वत की माँग करने, रिश्वत नहीं दिये जाने पर इनको अनिवार्य सेवानिवृत्त करने का प्रस्ताव देने तथा इस संबंध में शिकायत करने पर प्रताड़ित करने आरोप प्रतिवेदित किया गया है।

उक्त परिवाद-पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक-966, दिनांक-06.02.2018 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी।

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-812, दिनांक-28.02.2018 द्वारा जाँच-प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि आरोपों की जाँच पूर्व में ही विभाग द्वारा की जा चुकी है, जिसमें श्री कुमार को अपने आरोपों के पक्ष में साक्ष्य/गवाह प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया, परंतु वे अपने पक्ष में साक्ष्य/गवाह उपलब्ध नहीं करा पाये। इस प्रकार, विभागीय जाँच में श्री कुमार के आरोपों को अप्रमाणित पाया गया है। श्री यतीन्द्र प्रसाद अन्य विभागीय कार्यों के अतिरिक्त मुख्यालय स्थापना के वरीय प्रभारी हैं। विभाग में पदस्थापित कर्मियों के कार्य विभाजन एवं उनके स्थापना संबंधी कार्यों की संचिका बिना किसी पूर्वाग्रह के किया जाता है। श्री कुमार के मिथ्या आरोपों के कारण मुख्यालय स्थापना के कार्यों में गतिरोध उत्पन्न हुआ है। मिथ्या आरोप का दवाब बनाकर श्री कुमार मनचाहे प्रशाखा में प्रतिनियुक्त होना चाहते हैं। मिथ्या आरोप लगाना सरकारी सेवक के आचरण के विरूद्ध है, जिसके लिए श्री कुमार के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है।

श्री प्रसाद के विरूद्ध परिवाद पत्र में लगाये गये आरोप एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत श्री यतीन्द्र प्रसाद, झा0प्र0से0, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से संबंधित मामले को संचिकास्त करते हुए उन्हें आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सूर्य प्रकाश)

सरकार के संयुक्त सचिव

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2502

ज्ञापांक-5/आरोप-1-6/2018-898 (HRMS)/राँची दिनांक-29/06/2018

नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड का कोषांग/विभागीय अपर मुख्य सचिव कोषांग/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/ श्री यतीन्द्र प्रसाद, झा0प्र0से0, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/आरोप-1-6/2018-898 (HRMS)/राँची दिनांक-29/06/2018

विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-3 एवं 4/विभागीय अवर सचिव, प्रशाखा-6/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

Prepared By:- SHRI SATYAM BHARDWAJ - (110093431070)